न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–20/19 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2019/00126

उनवान

झम्मन पुत्र मॅगती जाति माली निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुरेश पुत्र होतीलाल
2. लक्ष्मीकान्त उर्फ रानू पुत्र सुरेश
3. शेर सिंह पत्रु मटोलीरा
4. राकेश
5. राजेश

} जाति माली निवासी कस्बा भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 23.04.2019 उनवानी झम्मन बनाम सुरेश प्र0स0 31/2018

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री संदीप गुप्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–21.12.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 23.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा भुसावर प्रथम तहसील भुसावर का प्रार्थी/अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है तथा अपने पिता मॅगतीराम के जीवनकाल

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

से ही काबिज होकर जोतते बोते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रार्थी/अपीलांट अकेला व्यक्ति होने के कारण अप्रार्थी/रैस्पो0 दादागिरी से विवादित आराजी को हडपना चाहते हैं। अतः मूल दावे के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये उभयपक्ष को पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये, अतः रैस्पो0 के अभिभाषक को लिखित बहस प्रस्तुत करने का लाभ देते हुये, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रार्थी/अपीलाण्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने तक का हिससा अवैधानिक है एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डे खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है व रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध उक्त भूमि से नहीं है। फिर भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपीलाण्ट के हिस्से तक अपास्त करते हुये, मूल वाद के निर्णय तक रैस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से उभयपक्ष को विवादित आराजी की मौका की स्थिति मूलवाद के निर्णय तक यथावत बनाये रखने के आदेश दिये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में अपीलाण्ट खातेदार के रूप में दर्ज हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पर जहॉ तक स्वामित्व का प्रश्न है, अपीलाण्ट का स्वत्व प्रमाणित है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बनती है। परन्तु दौराने वाद विवादित भूमि की स्थिति में परिवर्तन से वाद बहुलता व जटिलता उत्पन्न होगी। अतः विवादित भूमि की यथास्थिति सुविधा सन्तुलन को पुष्ट करती है। वैसे भी दौरान वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 23.04.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/12/2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर